FIN7-PD/PD/1/2022-XXVII-7-Finance Department

संख्या–14910/XXVII(7)/E-20109/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 25 अगस्त, 2023

विषयः उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018), (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1 (राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं शासनादेश संख्या–562/XXVII (7)/2017 दिनांक 24 मई, 2010 द्वारा प्रख्यापित वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2010 को अधिकमित करते हुए शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय–समय पर यथासंशोधित) का प्रख्यापन किया गया है।

2. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के अन्तर्गत विभिन्न मामलों में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा न्यूनतम होने से अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रकरण उच्च स्तर पर सन्दर्भित किये जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब की स्थिति दृष्टिगोचर है। अतः बदलते परिवेश में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की निर्धारित सीमा को परिवर्तित/बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, ताकि विभाग के स्तर पर कार्यों के निष्पादन में सरलीकरण के साथ प्रकिया में गति लायी जा सके।

3. उक्त कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के भाग–2 ''अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार'' के विवरण पत्र–1 'आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय', विवरण पत्र–2 'भूमि, भवन और किराया', विवरण पत्र–3 'निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय', विवरण पत्र–4 'ठेके और टेण्डर' में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की वित्तीय परिसीमाओं में संलग्नक के अनुसार संशोधन/परिवर्धन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. इस सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

5. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018, शासनादेश संख्या–434/XXVII (7)36/2010-11 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019, शासनादेश संख्या–293/XXVII (7)36/2010-11 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या–57/XXVII (7)/22-36/2010-11 दिनांक 25 मार्च, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त वर्णित शासनादेशों की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 24-08-2023 13:46:12
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

<u>संख्या– 149101 (1)/XXVII(7)/E-20109/2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून।
12. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 250 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
18. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 24-08-2023 13:58:38
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

आ– 149101 /XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 का संलग्नक।

भाग–2

अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार

विवरण पत्र–1

आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	(vi) बीज, पौध, रसायन एवं उर्वरक कय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	बीज कय हेतु एक बार में 30,000/– (रू0 तीस हजार) मूल्य तक।	बीज कय हेतु एक बार में 2.50 लाख/–(रू0 दो लाख पचास हजार) मूल्य तक।	
	(vii)औषधियों का कय।	1. प्रशासकीय विभाग	–	पूर्ण अधिकार	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2 (i) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2 (ii) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) की सीमा तक।	–यथावत्–	
		2(iii)निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	–	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) की सीमा तक।	
		2(iv)निदेशक, होम्योपैथिक	–	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) की सीमा तक।	–यथावत्–	
		4.(i) मुख्य चिकित्साधिकारी	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 5.00	–यथावत्–	

		/ राजकीय चिकित्सालयों के प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	लाख (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।		
		4. (ii) जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी 4.(iii) जिला होम्योपैथिक मेडिकल अधिकारी	–	औषधि कय हेतु एक बार में रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक।	

विवरण पत्र–2
भूमि, भवन और किराया

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	(क) राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवसिक भवनों और डाक बंगलों को छोडकर) भवनों का विकय स्वीकृत करना।	1.प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	भवनों का बाजार मूल्य पर विकय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
		2. विभागाध्यक्ष	रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) खाते मूल्य तक।	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक।	
	(ख) राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवसिक भवनों और डाक बंगलों को छोडकर) भवनों का विध्वंस स्वीकृत करना।	1.प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
		2. विभागाध्यक्ष	रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) खाते मूल्य तक।	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक।	
		3. जिलाधिकारी	–	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) खाते मूल्य तक, विभागाध्यक्ष को सूचित करते हुए।	
6.	गोदामों का किराया	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	–यथावत्–	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई शर्तों के अधीन। पूर्व में निर्धारित प्रकिया एवं शर्तों के अनुसार। किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा।
		2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	–यथावत्–	
		3. जिलाधिकारी	–	पूर्ण अधिकार (खाद्यान्न गोदामों हेतु)	
		4. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) प्रतिमाह तक।	–यथावत्–	

विवरण पत्र–3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
3.	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों / अनुपूरक अनुमानों / पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।	पूर्ण अधिकार	विलोपित	यदि किसी निर्माण कार्य में कार्य में प्राविधिक स्वीकृति की आवश्यकता है तो विभाग द्वारा प्राविधिक स्वीकृति की कार्यवाही आगणन की टी0ए0सी0 से पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी, इस हेतु विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अन्तर्गत सीमाओं / प्रकिया का निर्धारण कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में विभाग प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे कि कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् प्राविधिक स्वीकृति (टी0एस0) की आवश्यकता नहीं है।
		2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।	रू0 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।		
		3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0नि0वि0, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।		
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0 / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।		
		5–.अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।		

विवरण पत्र–4
ठेके और टेण्डर

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0 विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग / लघु सिंचाई	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में

/149101/2023

			2(क) अधीक्षण अभिन्यन्ता लो0नि0 विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई।	पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	पूर्ण अधिकार परन्तु रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	प्रावधानित की सीमा तक
			2–(ख) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/ यांत्रिक, सिंचाई।	–		
			2–(ग) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो0नि0 विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।		
			3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग	रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	रू0 1.50 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
			4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लघु सिंचाई विभाग। ।	–		
			5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, सिंचाई विभाग।	–		
			6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग।	रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।		
			7. सहायक अभियन्ता (सिविल), लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई।	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	
			8. मुख्य विद्युत निरीक्षक।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।		
			9. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक सिंचाई विभाग ।	–		
			10. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक लो0नि0वि0/ ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई। ।	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।		
4	बिना निविदा आमंत्रित किये कार्यादेश (वर्क आर्डर) पर आधारित निर्माण कार्य।	1. अधिशासी अभियन्ता	रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक।	–यथावत्–	वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार तथा आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।	
		2. सहायक अभियन्ता	–	रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) की सीमा तक।अधिशासी अभियन्ता की पूर्व सहमति से।		

शासनादेश संख्या–61/XXVII (7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के अध्याय–4 परिशिष्ट–1 में विभागाध्यक्ष की सूची कमांक–93 पर निदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड के स्थान पर अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडट कोर, उत्तराखण्ड पढ़ा जायेगा।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

erated from eOffice by SANDEEP KUMAR, RO-Finance Section 7 -SK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 25/08/2023 11:04 AM